

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 49/2020

दायर दिनांक: 02.09.2020

उनवान

1. गोकुल प्रसाद पि. गिरधारी जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
- वादी

बनाम

1. प्रहलाद पि. रामनारायण जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
2. मृतक-शिवलाल पि. रामनारायण जाति धाकड नि. सलोतिया
- 2/1 प्रकाशचन्द पि. शिवलाल जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
- 2/2 दिनेश कुमार पि. शिवलाल जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
3. सुखीबाई बैवा रामनारायण जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
4. शाखा प्रबन्धक बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुनेल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक -

वकील वादी - श्री प्रेमचन्द चौधरी

प्रतिवादी सं. 1 से 4 - एकतरफा

निर्णय

दिनांक 13.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम सलोतिया तहसील सुनेल के खाता संख्या 286 जमाबंदी सं. 2074-77 की किता 8 रकबा 3.4146 है. भूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन का वाद डिक्री किया जावे। इस न्यायालय के आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.03.2025 से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अधीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन का प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर पेश करने हेतु तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया गया। तहसीलदार सुनेल द्वारा उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री



42
उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

दिनांक 18.03.2025 की पालना में पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/374 दिनांक 25.04.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2025 की पालना में प्राप्त व स्वीकार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार ग्राम सलोतिया तहसील सुनेल के खाता संख्या 286 जमाबंदी सं. 2074-77 की कित्ता 8 रकबा 3.4146 है। भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकारान का रहन यथावत दर्ज रहेगा। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

| क्र. सं. | ग्राम | खातेदार का नाम | ख0नं0 | रकबा है0 |
|----------|---------|---|----------|----------|
| 1 | सलोतिया | गोकुल प्रसाद पि. गिरधारी जाति धाकड नि. सलोतिया | 96 | 0.0632 |
| | | | 91 | 0.4047 |
| | | | 92 | 0.1265 |
| | | | 463/1 | 0.6386 |
| | | | 93 | 0.2909 |
| | | | 94 | 0.1644 |
| | | | कित्ता 6 | 1.6883 |
| 2 | सलोतिया | प्रहलाद पि. रामनारायण हि. 1/3 प्रकाशचन्द पि. शिवलाल हि. 1/6 दिनेश कुमार पि. शिवलाल हि. 1/6 सुखीवाई वैवा रामनारायण हि. 1/3 जाति धाकड नि. सलोतिया | 97 | 0.2023 |
| | | | 96/1 | 0.3162 |
| | | | 463 | 0.7652 |
| | | | 465 | 0.4047 |
| | | | | कित्ता 4 |
| 3 | सलोतिया | गोकुल प्रसाद पि. गिरधारी हि. 1/2 प्रहलाद पि. रामनारायण हि. 1/6 प्रकाशचन्द पि. शिवलाल हि. 1/12 दिनेश कुमार पि. शिवलाल हि. 1/12 सुखीवाई वैवा रामनारायण हि. 1/6 जाति धाकड नि. सलोतिया | 463/2 | 0.0379 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड़ राज.
पिडावा, जिला झालावाड़ राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज०)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार गीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० ४९/२०२०

दायर दिनांक: ०२.०९.२०२०

उन्वान

१. भोकूल प्रसाद पि. गिस्वारी जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
- वादी

बनाम

१. प्रहलाद पि. रामनारायण जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
२. भूतक-शिवलाल पि. रामनारायण जाति धाकड नि. सलोतिया
- २/१ प्रकाशचन्द पि. शिवलाल जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
- २/२ दिनेश कुमार पि. शिवलाल जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
३. सुखीबाई बैवा रामनारायण जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
४. शाखा प्रबन्धक बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुनेल
५. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा ५३, २०९ रा.टी.एक्ट

उपरिथति विद्धान अगिगापक -

वकील वादी - श्री प्रेमचन्द चौधरी

प्रतिवादी सं. १ से ४ - एकतरफा



गिनजागित मुदई रुबरुx.....गिनजागिन मुदालयह हुक्म व
डिक्री दी जाती है कि इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक १८.०३.२०२५
की पालना में प्राप्त व स्वीकार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार ग्राम
सलोतिया तहसील सुनेल के खाता संख्या २८६ जमाबंदी सं. २०७४-७७ की
किता ८ रकबा ३.४१४६ है. भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि
राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिससे एवं मौके पर कब्जे काशत के आधार पर खाता
विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकारान का रहन यथावत
दर्ज रहेगा। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन
किया जाता है:-

4

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

| क्र. सं. | ग्राम | खातेदार का नाम | ख०-नं० | रकबा हे० |
|----------|---------|---|--------|----------|
| 1 | सलोतिया | गोकुल प्रसाद पि. गिरधारी जाति धाकड नि. सलोतिया | 96 | 0.0632 |
| | | | 91 | 0.4047 |
| | | | 92 | 0.1265 |
| | | | 463/1 | 0.6386 |
| | | | 93 | 0.2909 |
| | | | 94 | 0.1644 |
| | | | किता 6 | 1.6883 |
| 2 | सलोतिया | प्रहलाद पि. रामनारायण हि. 1/3 प्रकाशचन्द्र पि. शिवलाल हि. 1/6 दिनेश कुमार पि. शिवलाल हि. 1/6 सुखीबाई बैवा रामनारायण हि. 1/3 जाति धाकड नि. सलोतिया | 97 | 0.2023 |
| | | | 96/1 | 0.3162 |
| | | | 463 | 0.7652 |
| | | | 465 | 0.4047 |
| | | | | |
| | | | किता 4 | 1.6884 |
| 3 | सलोतिया | गोकुल प्रसाद पि. गिरधारी हि. 1/2 प्रहलाद पि. रामनारायण हि. 1/6 प्रकाशचन्द्र पि. शिवलाल हि. 1/12 दिनेश कुमार पि. शिवलाल हि. 1/12 सुखीबाई बैवा रामनारायण हि. 1/6 जाति धाकड नि. सलोतिया | 463/2 | 0.0379 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमूल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज०

निजX..... मुबालिकX..... बाबत खर्चा इस मुकदमें के सूद बपारहX.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैंरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.06.2025 को जारी किया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज०

| मुदई | | मुदालयह | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिन्तर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिन्तर | स्टाम्प अर्जी | बाबत इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सदूत | बाबत इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत० |
| महन्ताना वकील | मुत० | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

(दिनेश कुमार मीणा, आरएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज०
पिडावा, जिला झालावाड राज०

